

**Fourteenth Loksabha****Session : 7****Date : 09-03-2006****Participants : Rawat Prof. Rasa Singh**

an&gt;

Title : Need to include Ajmer district in Rajasthan in National Rural Employment Guarantee Programme.

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :** महोदय, 01 फरवरी, 2006 से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के केवल 5 जिले ही सम्मिलित किये गये हैं। पिछले कई सालों से निरंतर वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण अजमेर जिला भयंकर अकाल एवं सूखे की समस्या से पीड़ित है।

अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र में 8 पंचायत समितियां हैं जिनमें अंराई, भिनाय, जवाजा, पीसांगन, सिलौरा, श्रीनगर ये 6 पंचायत समितियां अतिशोषित श्रेणी में आती हैं बाकी बची 2 पंचायत समितियां केकड़ी व मसूदा भूजल के मापदंडानुसार अति संवेदनशील श्रेणी में आती है। मानसून पूर्व भूजल सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि जहां 1984 में औसत भूजल स्तर 7.79 मीटर अंकित हुआ था वह सन 2004 में 15.90 मीटर गहरायी तक पहुंच गया। इस प्रकार 41 से.मी. प्रतिवर्ष औसत भूजल स्तर में गिरावट हो रही है। जिले की स्थिति पैदावार की दृष्टि से दयनीय है। अजमेर जिले के 14 लाख किसानों की जोत का औसत 2.33 प्रति हैक्टेयर है जो अनार्थिक है। काबिल काश्त भूमि की उपलब्धता में कमी आ रही है। बांधों एवं तालाबों में पानी की आवक नहीं के बराबर है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाले एवं खेती पर आधारित किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाये। इस योजना की सभी पात्रताओं को अजमेर जिला पूरा करता है।